536

**संख्या– 511 / XXVIII–4–2014–84/2013टी.सी–4**

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 — देहरादून : दिनांक 27 मार्च, 2014

विषय– उत्तराखण्ड के राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ **Mixed oxident Generation System & Optical Video Laryngoscope** को मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत कय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–15प/भण्डार/4/2013/11777, दिनांक 24.03.2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ केन्द्रीय कय समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उपकरणों/सामग्री को मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत कय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

| S. N. | Description of Goods | Name of Manufacturing firm | Model/ make | Qty | Unit price (in ) Inc. of all taxes & 8uties | 4 year CMC after 3 year warranty | Total Amount (in ) Inc. of all taxes & duties With 4 year CMC after 3 year warranty | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixed oxidant Generation System | M/s Faith Innovations | Sterigen SG400 | 11 | 9,38,700.00 | Ist yr 55500.00<br>IInd yr 55500.00<br>IIIrd yr 55500.00<br>IVth yr 55500.00<br>Total 222000.00 | 1,03,25,700.00<br>+<br>24,42,000.00<br>CMC=<br>1,27,67,700.00 | L1 |
| 2. | Optical Video Laryngoscope | M/s Faith Innovations | Traview PCD-R | 5 | 8,37,900.00 | Ist yr 50000.00<br>IInd yr 57000.00<br>IIIrd yr 64000.00<br>IVth yr 71000.00<br>Total 242000.00 | 41,89,500.00<br>+<br>1210000.00<br>CMC=<br>53,99,500.00 | L1 |

2– उपकरण को मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत कय करने की कार्यवाही शासनादेश संख्या–1271/XXVIII–5–2008–122/2002 दिनांक 22.10.2009 में उल्लिखित व्यवस्था /प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।

3– उपकरण कय में मद स्वीकृति धनराशि का आहरण/व्यय सम्बन्धित वित्तीय हस्त–पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में

समय–समय पर निर्गत आदेशों एवं केन्द्रीय क्रय समिति की संस्तुति के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

4– सी.एम.सी. से सम्बन्धित धनराशि वॉरण्टी अवधि समाप्त होने के पश्चात यथा आवश्यकता क्रमिक वर्षो में क्रमिक रूप से ही सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध करायी जायेगी

5– उपकरण क्रय करने एवं धनराशि आहरण करने की कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस चिकित्सालय हेतु उपकरणों का क्रय किया जा रहा है, उनमे आवश्यक चिकित्सा/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो। यदि आपूर्ति के पश्चात उपकरण शीघ्र क्रियाशील नही होते है तो इस हेतु सम्बन्धित अधिप्राप्ति करने वाले अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– उपकरण क्रय करने एवं धनराशि आहरण करने की कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिशिचित कर लिया जाय कि जिन चिकित्सालयों हेतु उपकरणों का क्रय किया जा रहा है, उनमें आवश्यक चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टॉफ उपलब्ध हो। यदि आपूर्ति के पश्चात् उपकरण शीघ्र क्रियाशील नहीं होते हैं, तो इस हेतु सम्बन्धित अधिप्राप्ति करने वाले अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

7– उपकरण का मूल्य उचित होने के सम्बन्ध में आवश्वस्त होने पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

8– वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर क्रय की गयी सामग्रियों/उपकरणों एवं इनके संचालन हेतु उपलब्ध कार्मिकों के सम्बन्ध में तालिकाबद्ध आख्या शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

9– नियमानुसार समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही सामग्रियों/उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपकरणों का मात्रानुबन्ध करते समय तत्समय प्रचलित वास्तविक दरों पर ही क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 511 (1)/XXVIII–4–2014–84/2013टी.सी.–4 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.महालेखाकर, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2.निदेशक भण्डार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3.वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4.निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5.मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग/ एन0आई0सी0।
7.गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।